पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता, अनुसंधान और कौशल विकास स्कीम के लिए दिशा-निर्देश

पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम

अक्टूबर, 2022

पर्यावरण शिक्षा प्रभाग

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड

नई दिल्ली - 110003

विषय-वस्तु

1. पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम 3

1.1. लक्ष्य और उद्देश्य 3

1.2. कार्यान्वयन एजेंसियां 4

1.3. कार्यान्वयन की कार्यनीति 4

1.4. लक्ष्य के लाभार्थी 5

1.5. सहायता अनुदान 6

1.6. निष्पादन की रिपोर्टिंग 7

1.7. निष्पादन की निगरानी और मूल्यांकन 8

अनुबंध-I: पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम (ईईपी): अनुमानित परिणाम 9

अनुबंध-II: पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता, अनुसंधान और कौशल विकास (ईईएआरएसडी) स्कीम के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्रपत्र 13

1. पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम

"आज के बच्चे कल के वैश्विक नागरिक हैं। वे अपने परिवारों को प्रभावित करते हैं, उनके दृष्टिकोणों का निर्माण करते हैं, और इस प्रकार समाज पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए, बच्चों को बाल्यकाल के रचनात्मक वर्षों (5 से 14) के दौरान, जब उनमें संदेशों और सूचना को ग्रहण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, पर्यावरण तथा हमारे वर्तमान कार्यों कार्यकलापों के दीर्घकालिक प्रभाव के विषय में शिक्षित करने की आवश्यकता है" - इस विचार-धारा को आगे बढ़ाते हुए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एण्ड सीसी) द्वारा देश भर में स्कूलों में ईको-क्लब के गठन और उसके कार्यकलापों को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2001-02 में 'राष्ट्रीय हरित कोर (एनजीसी)' नामक कार्यक्रम की शुरूआत की गई। पर्यावरण के संरक्षण संबंधी कार्यकलापों में युवाओं को भी सहभागी बनाकर उन्हें एकजुट करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए, वर्ष 2019-20 के दौरान कॉलेजों में भी इस कार्यक्रम को विस्तारित किया गया। वर्ष 2021-2022 तक, एनजीसी कार्यक्रम को अनौपचारिक पर्यावरण शिक्षा हेतु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित किया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने भी वर्ष 2019 में स्कूलों में अनिवार्य रूप से ईको-क्लबों के गठन हेतु सभी स्कूलों को निर्देश देते हुए परिपत्र जारी किया है। विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), शिक्षा मंत्रालय (एमओई) भी **समग्र शिक्षा**, सरकारी स्कूलों के लिए केंद्र-प्रायोजित स्कीम के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ, युवा क्लबों और इको-क्लबों हेतु सहयोग प्रदान करता है। विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा भी ईको-क्लबों और प्रकृति क्लबों के गठन को बढ़ावा दिया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में ईको-क्लबों की परिकल्पना देश में स्कूल और उच्चतर शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में की गई है।

1.1. लक्ष्य और उद्देश्य

पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम (ईईपी) पुन: सुदृढ़ की गई केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम 'पर्यावरण, शिक्षा, जागरूकता, अनुसंधान और कौशल विकास (ईईएआरएसडी)' का एक घटक है और इसका उद्देश्य औपचारिक शिक्षा प्रदान करने हेतु विभिन्न शैक्षणिक पहलों के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा मंत्रालय के प्रयासों को संपूरित करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों के तहत गठित युवा क्लबों और ऐसे अन्य क्लबों/इकाइयों/समूहों को लक्षित करने के अलावा राष्ट्रीय हरित कोर कार्यक्रम के तहत पहले से गठित इको-क्लबों की प्रमुख सेक्टोरल क्षमता को उन्नत करना है। इन कार्यकलापों को प्रतीकात्मक कार्यक्रलापों से आगे बढ़ाकर बच्चों/युवाओं को समीक्षात्मक तरीके से सोचने और ऐसी आदतें डालने, जिससे वे प्रकृति के साथ ताल-मेल बनाकर जी सकें, हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से संधारणीय जीवन-शैली के संबंध में केंद्रित प्रशिक्षण/अभियानों के रूप में उन्नत बनाया जाएगा। जब ये कार्यकलाप स्व-प्रेरणा से कार्यान्वित किए जाते हैं और उनके मूल में सकारात्मक सोच होती है, तो दीर्घकालिक परिवर्तन की संभावना अधिक होती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों और युवा पीढ़ी द्वारा कक्षाओं में प्राप्त जानकारी को प्रकृति से प्राप्त अनुभव तथा हैण्ड्स-ऑन कार्यक्रलापों से संपूरित करना है। शिक्षा, क्षमता संवर्धन, प्रोत्साहन, मॉडलिंग, विश्वास सृजन, प्रशिक्षण आदि जैसे व्यवहार परिवर्तन संबंधी मनोवैज्ञानिक कार्यकलाप राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में परिकल्पित सिद्धांतों पर आधारित इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में प्रमुख साधन होंगे।

उद्देश्य क्या है?

इस कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यशालाओं, परियोजनाओं, प्रदर्शनियों, अभियानों, प्रतियोगिताओं, प्रकृति शिविरों, ग्रीष्मावकाश कार्यक्रमों आदि जैसी विभिन्न शैक्षणिक पहलों के माध्यम से बच्चों/युवाओं को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के विषय में जागरूक बनाना और संधारणीय जीवन-शैली अपनाने हेतु उन्हें प्रेरित करना है।

1.2. कार्यान्वयन एजेंसियां

इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन या तो केंद्रीय स्तर पर या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर किया जा सकता है। तदनुसार, कार्यान्वयन एजेंसी केंद्रीय या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की ऐसी कोई एजेंसी या स्वायत्तशासी निकाय/संस्थान हो सकता है जिसके पास शिक्षा/पर्यावरण से संबंधित अधिदेश हो। कार्यान्वयन एजेंसी को केंद्र/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जैसे संबंधित प्राधिकरणों द्वारा नामित किया जाएगा और उसे इस मंत्रालय द्वारा सचिव (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन) के उचित अनुमोदन से अंतिम रूप दिया जाएगा।

प्रस्ताव कौन प्रस्तुत कर सकता है?

इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु सक्षम कार्यान्वयन एजेंसियां (आईए) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विभिन्न संगठन/संस्थान, पूर्व की पर्यावरण शिक्षा जागरूकता और प्रशिक्षण (ईईएटी) स्कीम के लिए नामोद्दिष्ट राज्य नोडल एजेंसियां (एसएनए), नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) या युवा मामले विभाग (डीओवाईए) के तहत ऐसा कोई निकाय, केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) या शिक्षा मंत्रालय (एमओई) के अंतर्गत ऐसा अन्य निकाय, महिला और बाल विकास मंत्रालय (एमओडब्ल्यूसीडी) के संबद्ध संगठन, पंचायती राज संस्थाएं/शहरी स्थानीय निकाय आदि हैं। यह कार्यक्रम केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की एजेंसियों/निकायों/संस्थानों को छोड़कर किसी अन्य एजेंसी/ निकाय/ संस्थान के लिए खुला नहीं है।

1.3. कार्यान्वयन की कार्यनीति

कार्यान्वयन एजेंसियां **"संधारणीय जीवन-शैली संबंधी कार्यशालाओं/ परियोजनाओं/ प्रदर्शनियों/ अभियानों/ प्रतियोगिताओं/ प्रकृति शिविरों/ ग्रीष्मावकाश कार्यक्रमों आदि"** को लाभार्थियों के लिए आयोजित करेंगी। **इन कार्यशालाओं/ परियोजनाओं** से ऐसे संधारणीय समाधानों, जिनमें न्यूनतम संसाधनों का उपयोग हो, प्रदूषण न्यूनतम हो और कम से कम अपशिष्ट का सृजन हो, का प्रयोग और अनुभव की संकल्पनाओं एवं अवसर को सुदृढ़ करने के अलावा लक्षित लाभार्थियों को वैज्ञानिक और समीक्षात्मक सोच विकसित करने, रचनाधर्मिता प्रदर्शित करने और अनुकम्पा एवं समानुभूति जैसे मूल्यों को संवर्धित करने हेतु एक मंच प्राप्त होगा। **परियोजनाओं** में सौर समाधानों, अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों, कंपोस्टिंग इकाइयों आदि जैसी प्रभावी प्रदर्शन परियोजनाएं भी शामिल हो सकती हैं। **प्रदर्शनियों** का उद्देश्य लक्षित लाभार्थियों द्वारा आम जनता या किसी

लक्षित दर्शक गण के लिए बनाए गए पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के प्रदर्शन (और/या बिक्री) करना है, ताकि उन्हें सुग्राही बनाया जा सके और ऐसे उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। **प्रकृति शिविरों** से लक्षित लाभार्थियों को भारत की अद्वितीय प्राकृतिक विविधता, विविध पारिस्थितिक प्रणालियों, वनस्पतियों और जीव-जंतुओं को समझने और उन्हें पहचानने के साथ-साथ उनके अस्तित्व के खतरों को समझने में भी मदद मिलेगी। प्रश्नोत्तरी, वाद-विवाद, निबंध, पेंटिंग, शारीरिक गतिविधियों, सामुदायिक भागीदारी आदि जैसे **विषयगत अभियानों/प्रतियोगिताओं** से लक्षित लाभार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने और जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक मंच मिलेगा। इन पहलों को प्रधानमंत्री के 'पर्यावरण के लिए जीवन शैली (लाइफ)' मिशन के साथ जोड़ा जाएगा। इस कार्यक्रम से अपेक्षित परिणामों का विस्तृत विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

ईईपी के तहत पहलों को 'पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय' के बैनर के अंतर्गत आयोजित/शुरू किया जाएगा और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतीक चिह्न का उपयोग इन पहलों के एक भाग के रूप में जारी किए गए बैनरों, पोस्टरों, स्रोत सामग्री, प्रकाशनों आदि में अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

1.4 लक्षित लाभार्थी

लक्षित लाभार्थी मुख्य रूप से **बच्चे/युवा हैं**। कार्यान्वयन एजेंसियां इस कार्यक्रम को एनजीसी कार्यक्रम के तहत गठित इको-क्लबों, शिक्षा मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत गठित इको-क्लबों/युवा क्लबों या ऐसी अन्य इकाइयों, एनवाईकेएस के युवा क्लबों, डीओवाईए की विभिन्न योजनाओं के तहत गठित राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) प्रकोष्ठों/ इकाइयों आदि, एमओडब्ल्यूसीडी की विभिन्न योजनाओं के तहत गठित बाल देखभाल संस्थानों या अन्य ऐसी इकाइयों आदि के माध्यम से कार्यक्रम को लागू करेंगी, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे।

क्या लक्षित लाभार्थियों के लिए कोई आयु सीमा है?

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अनौपचारिक पर्यावरण शिक्षा प्रदान करना है ताकि बच्चों/युवाओं को संधारणीय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके और कुशल बनाया जा सके। भारत सरकार के विभिन्न नीतिगत वक्तव्यों में दिए अनुसार आयु परिभाषाओं का पालन किया जाएगा।

वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में 3 से 18 वर्ष के आयु वर्ग को शामिल करते हुए एक नए शैक्षणिक और पाठ्यचर्या पुनर्गठन की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा के संबंध में सांख्यिकीय रिपोर्टिंग के लिए 18-23 वर्ष के आयु वर्ग की आबादी पर विचार किया जाता है। डीओवाईए के विभिन्न नीतिगत वक्तव्यों के अनुसार, 15-29 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाले लोगों को युवा के रूप में परिभाषित किया गया है।

उपर्युक्त के बावजूद, ऐसी पहलों, जिनसे अंततः बच्चों/युवाओं की शिक्षा/कौशल में योगदान मिलेगा, के समान शिक्षकों का मास्टर प्रशिक्षकों के रूप में क्षमता निर्माण करने पर भी विचार किया जा सकता है।

1.5 सहायता अनुदान

ईईपी के लिए सहायता अनुदान **अनावर्ती** प्रकृति का होगा। यह प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर स्वीकृत किया जाएगा, जो *अन्य बातों के साथ-साथ*, अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने, अनिवार्य नियमों और शर्तों को पूरा करने और निधियों की उपलब्धता के अधीन होगा।

आईए को सहायता अनुदान समय-समय पर संशोधित/जारी भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों और संबंधित निर्देशों के अनुसार स्वीकृत किया जाएगा। आईए को अनुदान निम्नलिखित व्यापक शीर्षों के अंतर्गत दिया जाएगा :

क्र.सं.	**विवरण**
क.	संधारणीय जीवन शैली से संबंधित कार्यशालाओं/ परियोजनाओं/ प्रदर्शनियों/ अभियानों/ प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता
ख.	प्रकृति शिविरों/ग्रीष्म अवकाश कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए वित्तीय सहायता
ग.	प्रतिपूर्ति के आधार पर प्रशासनिक शुल्क (क+ख का 10%)

राज्य स्तर पर सभी जिलों को शामिल करते हुए कार्यान्वयन के मामले में, आईए को एक व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। आईए को चरणबद्ध तरीके से कई वर्षों में सभी स्कूलों/इकाइयों को शामिल करने का लक्ष्य रखने की आवश्यकता है। विशेष क्षेत्रों/खंडों पर ध्यान केंद्रित करते हुए चरण-वार कार्यान्वयन बजट आवंटन के आधार पर अपनाया जा सकता है। कार्यान्वयन की योजना बनाते समय लक्षित किए जाने वाले स्कूलों/इकाइयों की संख्या और लाभार्थियों की संख्या को उपयुक्त रूप से शामिल करने की आवश्यकता है।

क्या सहायता अनुदान प्रदान करने की कोई सीमा है?

अनुदान, संधारणीय जीवन शैली से संबंधित कार्यशालाएं/परियोजनाएं/प्रदर्शनियां/अभियान/प्रतियोगिताएं आदि आयोजित करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए 15 लाख रुपये की अधिकतम सीमा तक सीमित होगा।

प्रकृति शिविर/ग्रीष्मकालीन अवकाश कार्यक्रम 1 से 3 दिवसीय कार्यक्रम होंगे। पचास (50) छात्रों के लिए 3 -दिवसीय कार्यक्रम (3 दिन और 2 रात) के लिए अनुदान 4,000/- रुपये प्रति छात्र से अधिक नहीं होगा जो प्रत्येक राज्य में बीस (20) शिविरों/कार्यक्रमों तक सीमित होगा। किसी राज्य को एक वर्ष में 50-50 छात्रों के बीस शिविरों के लिए 40 लाख रुपए तक की अधिकतम सहायता दी जाएगी। किसी शिविर/कार्यक्रम में दिनों/छात्रों की कम संख्या होने के मामले में अनुदान को तदनुसार कम कर दिया जाएगा।

विशेष स्थितियां

एमओई, डीओवाईए आदि के संगठनों/संस्थानों/एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वयन के मामले में या ऐसे अन्य मामलों में जो इस टिप्पणी में नहीं दिए गए हैं, इस मंत्रालय द्वारा संबंधित प्रस्ताव पर सचिव (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन) के उचित अनुमोदन से कार्रवाई की जाएगी और अंतिम रूप दिया जाएगा।

प्रभावशाली प्रदर्शन परियोजनाओं का समर्थन करने में सक्षम होने के लिए कार्यक्रम में एक लोचदार वित्त पोषण ढांचा होगा। आईएएस इस मंत्रालय द्वारा अनुमोदित सौर समाधानों, अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों, कंपोस्टिंग इकाइयों आदि के वितरण के लिए आवश्यक खरीद कर सकते हैं।

परियोजनाओं के मामले में, प्रस्तावों का मूल्यांकन या तो मंत्रालय में संबंधित विषय प्रभाग के परामर्श से किया जाएगा या प्राप्त परियोजना प्रस्तावों की संख्या के आधार पर सदस्यों के रूप में संबंधित विषय प्रभागों के अधिकारियों के साथ एक तदर्थ समिति का गठन करने के द्वारा जाएगा।

प्रस्तावों को कैसे प्रस्तुत किया जाए?

आईए द्वारा प्रस्ताव संयुक्त सचिव/सलाहकार (ईई), एमओईएफएंडसीसी को, **अनुबंध-II** में दिए गए प्रारूप के अनुसार, अनुदान सहायता की मंजूरी के विचारार्थ प्रस्तुत किए जा सकते हैं। मंत्रालय में कार्यक्रम प्रभाग द्वारा समय-समय पर प्रस्ताव प्रारूप की समीक्षा की जाएगी और संबंधित अपर सचिव/संयुक्त सचिव के अनुमोदन से आवश्यकतानुसार उसे संशोधित किया जाएगा। एमओईएफ़एंडसीसी द्वारा वेब-पोर्टल विकसित करने के बाद प्रस्तावों की प्रस्तुति एवं प्रसंस्करण ऑन लाइन की जाएगी।

प्रशासनिक प्रभावों की प्रतिपूर्ति

प्रशासनिक प्रभार वास्तविक आधार पर जारी किया जाएगा, जो स्थायी जीवन शैली कार्यशालाओं/ परियोजनाओं/ प्रदर्शनियों/ अभियानों/ प्रतियोगिताओं और प्रकृति शिविरों/ ग्रीष्मकालीन अवकाश कार्यक्रमों के आयोजन पर किए गए कुल खर्च के 10% से अधिक नहीं होगा। प्रशासनिक प्रभारों की प्रतिपूर्ति के लिए, आईएएस को मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए उपयोगिता प्रमाणपत्र और व्यय विवरण में इन खर्चों को विधिवत रूप से दर्शाने की आवश्यकता है।

1.6. प्रदर्शन रिपोर्टिंग

आईएएस अनुदान का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए करेगा जिसके लिए इसे प्रदान किया गया है और भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों और संबंधित निर्देशों के अनुसार वार्षिक उपयोग प्रमाण पत्र और व्यय विवरण, एक व्यापक गतिविधि रिपोर्ट के साथ, निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करेगा।

गतिविधि रिपोर्ट कार्यक्रम के आउटपुट और परिणाम संकेतकों जैसे कार्यशालाओं/ परियोजनाओं/ प्रदर्शनियों/ अभियानों/ प्रतियोगिताओं/ प्रकृति शिविरों/ समर्थित ग्रीष्म कालीन अवकाश कार्यक्रमों की संख्या, शामिल किए गए विद्यालयों/क्लबों की संख्या, विभिन्न कार्यकलापों में प्रशिक्षित/शामिल बच्चों/युवाओं की संख्या, आदि और कार्यक्रम के प्रभाव पर एक संक्षिप्त विवरण का मात्रात्मक लेखा-जोखा देगी। जब भी मंत्रालय अनुरोध करता है, आईएएस के लिए आवधिक/गतिविधि-वार रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है।

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) जैसे विभिन्न पोर्टलों के माध्यम से वित्तीय डेटा की रिपोर्टिंग की जानी है जैसा कि वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिदेशित है। अन्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के माध्यम से डेटा की रिपोर्टिंग, जिसे विकसित किया जा सकता है, भी अनिवार्य है। इस संबंध में एमओईएफएंडसीसी द्वारा निर्देश जारी किए जाएंगे।

1.7. निष्पादन निगरानी और मूल्यांकन

की जा रही गतिविधियों की निगरानी एवं समीक्षा करने के लिए अपर सचिव/संयुक्त सचिव के स्तर पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जायेंगी। वित्तीय निष्पादन की निगरानी पीएफएमएस पोर्टल, अधिकृत बैंकर द्वारा प्रदान किए गए एमआईएस और उपयोगिता प्रमाण पत्र और व्यय विवरण की जांच के माध्यम से की जाएगी। ऑनलाइन डेटा रिपोर्टिंग, डिजिटल फुटप्रिंट्स, गतिविधियों की वेब-स्ट्रीमिंग आदि के आधार पर भौतिक गतिविधियों की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। एमओईएफएंडसीसी द्वारा विकसित किए जाने वाले वेब-पोर्टल में निष्पादन के वास्तविक समय के आकलन के लिए लाइव डैशबोर्ड के प्रावधान होंगे, जिसके आधार पर आईएएस की प्रतिस्पर्धा और श्रेणी की परिकल्पना की जाएगी।

आईए के साथ समन्वय के साथ-साथ उनके निष्पादन की निगरानी में प्रभाग की सहायता के लिए एमओईएफएंडसीसी के कार्यक्रम प्रभाग में एक निगरानी और समन्वय कक्ष (एमसीसी) स्थापित किया जाएगा। एमसीसी के लिए जनशक्ति, अर्थात, एक सलाहकार 'बी' और एक सलाहकार 'ए' को एमओईएफएंडसीसी के आदेश ए 65013/7/2018-पी II दिनांक 21/12/2018 और संबंधित निर्देशों द्वारा जारी मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा।

एमओईएफएंडसीसी के विकास निगरानी और मूल्यांकन प्रभाग (डीएमईडी) के परामर्श से कार्यक्रम के मध्यावधि/कार्यान्वयन के बाद के मूल्यांकन पर विचार किया जाएगा। प्राप्त फीडबैक पर सभी हितधारकों के परामर्श से विचार किया जाएगा और मध्यावधि सुधारों को सचिव (ईएफ एंड सीसी) के अनुमोदन से शामिल किया जाएगा। मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुसार तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा की जाएगी।

एमओईएफएंडसीसी ईईपी के कार्यान्वयन के संबंध में सभी निर्णयों के संबंध में अंतिम प्राधिकरण होगा, जिसमें कार्यान्वयन एजेंसियों का चयन, सहायता अनुदान की मंजूरी और निष्पादन मूल्यांकन शामिल है।

.....

अनुबंध-I

पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम (ईईपी): अपेक्षित परिणाम

पर्यावरण-अनुकूल व्यवहार या पर्यावरणीय रूप से उत्तरदायी व्यवहार को ऐसे व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो दुनिया पर व्यक्तिगत कार्यों के नकारात्मक प्रभाव को जागरूक हो कर कम करने की कोशिश करता है। इस तरह के व्यवहार वाले व्यक्तियों में संधारणीय जीवन शैली अपनाने की प्रवृत्ति होती है जिसका पर्यावरण पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है और प्रकृति के साथ समरसता में रहता है। कोई भी व्यक्ति, इसप्रकार अपनी दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों की रूपरेखा बदल कर और इनकी पुनर्संरचना करके एक संधारणीय जीवन-शैली को अपना सकता है, जिससे इन गतिविधियों से पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों पर दबाब न पड़े और साथ ही ये पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा के प्रयासों की पूरक बनें।

पर्यावरण-अनुकूल व्यवहार अपनाने वाले कारकों की व्याख्या करने के लिए पिछले कई वर्षों से कई सैद्धांतिक मॉडल विकसित किए गए हैं। पर्यावरण-अनुकूल व्यवहार का सबसे पुराना, सबसे सरल और अकसर इस्तेमाल किया जाने वाला मॉडल पर्यावरण जागरूकता और दृष्टिकोण की ओर बढ़ने वाले पर्यावरण ज्ञान की एक रैखिक प्रगति पर आधारित है, जो पर्यावरण-अनुकूल व्यवहार की ओर ले जाता है। यह मॉडल मानता है कि लोगों को पर्यावरणीय मुद्दों का ज्ञान प्रदान करने से वे पर्यावरण-अनुकूल व्यवहार करेंगे और इन्हें सार्वजनिक समझ का 'अपूर्ण' मॉडल और [1] बर्गेस *एट अल* (1998) कहा गया है। ***आज के समय में भी आयोजित अधिकांश पर्यावरण जागरूकता अभियान इसी मॉडल पर आधारित हैं।***

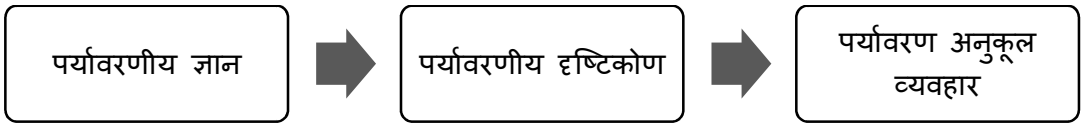

चित्र 1: पर्यावरण-अनुकूल व्यवहार का प्रारंभिक (रैखिक) मॉडल ([2] कोलमस और एग्येमैन, 2002 से अनाया हुआ)

हालांकि, बाद के शोधों ने साबित कर दिया है कि ज्ञान और जागरूकता में वृद्धि होने से यह जरूरी नहीं कि व्यक्ति पर्यावरण-अनुकूल व्यवहार करने लग जाए। इस अंतर के कारणों में से एक प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष अनुभव में अंतर हो सकता है [[3] राजेकी, 1982]। ***अप्रत्यक्ष अनुभवों की तुलना में प्रत्यक्ष अनुभवों का व्यवहार पर अधिक प्रभाव पड़ता है।*** इस प्रकार प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से सीखना कक्षा से सीखने की तुलना में अधिक प्रभावी होता है।

---

[1]बर्गेस, जे., हैरिसन, सी. & फिलियस, पी. (1998)। एनवायरनमेंटल कम्युनिकेशन एंड द कल्चरल पॉलिटिक्स ऑफ एनवायरनमेंटल सिटीजनशिप, एनवायरनमेंट एंड प्लानिंग ए, 30, पीपी. 1445-1460।

[2]कोलमस, ए., & एग्येमैन, जे. (2002)। माइंड द गैप: व्हाई डू पीपल एक्ट एनवायरमेंटली एंड व्हाट आर द बैरियर्स टू प्रो-एनवायरनमेंटल बिहेवियर? एनवायरनमेंटल एजुकेशन रिसर्च, 8(3), 239-260

[3]राजेकी, डी.डब्ल्यू. (1982) दृष्टिकोण: थीम्स एंड एडवांसेज (सुंदरलैंड, एमए, सिनाउर)।

शोध ने सुझाव दिया कि व्यवहार को निर्धारित करने वाले एकमात्र कारक दृष्टिकोण नहीं हैं। [4]हाइन्स एट अल., (1986) ने एक अधिक व्यापक मॉडल सामने रखा है जिसमें पर्यावरण-अनुकूल व्यवहार के निर्धारक के रूप में व्यक्तित्व कारक, ज्ञान कारक और परिस्थितिजन्य कारक शामिल हैं।

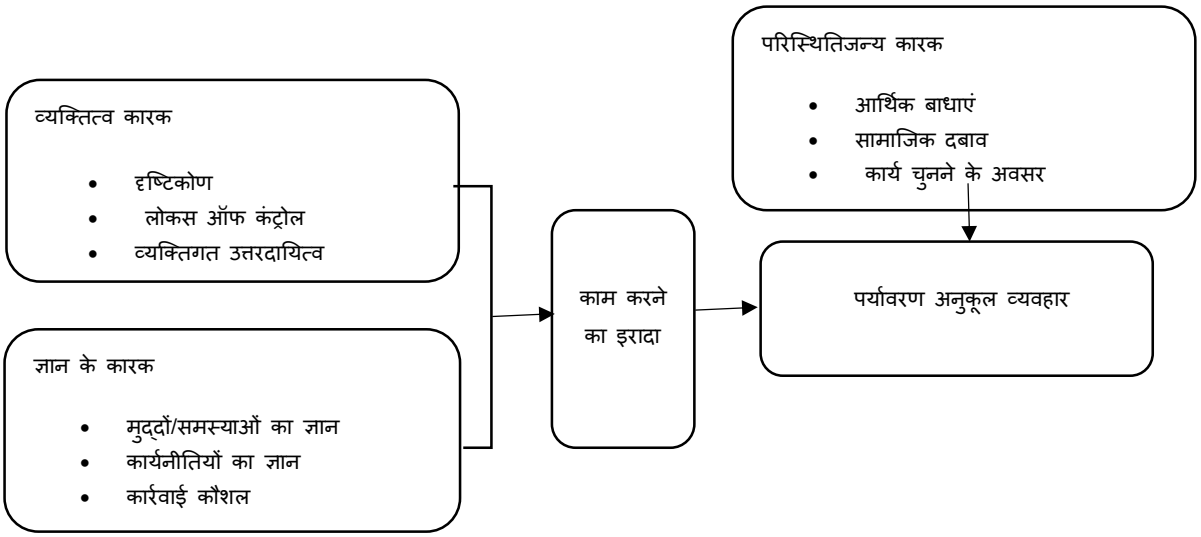

चित्र 2: हाइन्स एट अल., 1986 द्वारा प्रस्तुत पर्यावरण-अनुकूल व्यवहार के मॉडल के पूर्वसूचक (कोलमस और एग्येमैन, 2002 से अपनाया हुआ)

मजबूत पर्यावरण-अनुकूल दृष्टिकोण, मजबूत लोकस ऑफ कंट्रोल (एक व्यक्ति की धारणा है कि क्या वह अपने व्यवहार के माध्यम से परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है) और व्यक्तिगत जिम्मेदारी की अधिक भावना रखने वाले लोगों की पर्यावरण-अनुकूल व्यवहार में सम्मिलित होने की संभावना अधिक होती है। इसी तरह, मुद्दों/समस्याओं, कार्यनीतियों की स्पष्ट समझ के साथ-साथ कौशल रखने वाले लोगों द्वारा पर्यावरण-अनुकूल व्यवहार करने की अधिक संभावना होती है। फिर भी, कई परिस्थितिजन्य कारक हैं जो अंततः यह तय करते हैं कि क्या व्यक्ति किसी विशेष स्थिति में पर्यावरण-अनुकूल व्यवहार को अपनाएगा।

जबकि परिस्थितिजन्य कारकों को सरकार की विभिन्न नीतियों के माध्यम से कार्य किया जा सकता है, लेकिन व्यक्तित्व और ज्ञान के कारकों को परिवर्तित करने में शिक्षा एक प्रमुख भूमिका निभाती है। विशेष रूप से, ज्ञान के कारक, शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों के माध्यम से पर्यावरण शिक्षा प्रदान करने के प्रयासों द्वारा नियंत्रित होते हैं। पर्यावरण शिक्षा जागरूकता अनुसंधान और कौशल विकास (ईईएआरएसडी) योजना के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम (ईईपी) का उद्देश्य मुद्दों/समस्याओं, कार्यनीतियों और कार्य कौशलों का ज्ञान प्रदान करने के लिए सम्मिलित प्रयास के माध्यम से पर्यावरण-अनुकूल व्यवहार और संधारणीय जीवन-शैली को बढ़ावा देना है।

4हाइन्स, जे.एम., हंगरफोर्ड, एच.आर. & टोमेरा, ए.एन. (1986-87)। एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ रिसर्च ओन रेस्पोंसीबल प्रो-एनवायरनमेंटल बिहेवियर: ए मेटा-एनालिसिस, द जर्नल ऑफ एनवायरनमेंटल एजुकेशन, 18(2), पीपी. 1-8.

संधारणीय जीवनशैली कार्यशाला

इस कार्यक्रम में परिकल्पित किए गए अनुसार, किसी संधारणीय जीवनशैली कार्यशाला द्वारा लक्षित लाभार्थियों को मुद्दों की जानकारी, कार्यनीतियाँ और कार्य कौशल प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। कतिपय उदाहरण नीचे दिए गए हैं :

उदाहरण #1: खाद के माध्यम से अपशिष्ट भराव-क्षेत्र की समस्याओं का समाधान

समस्या	कार्रवाई संबंधी कार्यनीति	कार्रवाई योग्य कौशल
-अपशिष्ट भराव-क्षेत्र क्या हैं? - अपशिष्ट भराव-क्षेत्र किस प्रकार पर्यावरण को प्रभावित करते हैं?	- अपशिष्ट भराव-क्षेत्रों का संधारणीय भूमि-सुधार - अपशिष्ट भराव-क्षेत्र के अपशिष्ट में कमी करना	-खाद कैसे बनायें? -खाद संबंधी समस्याओं का समाधान

उदाहरण #2: पुराने वस्त्रों के पुनर्चक्रण के माध्यम से अपशिष्ट भराव-क्षेत्र की समस्याओं का समाधान

समस्या	कार्रवाई संबंधी कार्यनीति	कार्रवाई योग्य कौशल
- अपशिष्ट भराव-क्षेत्र क्या है? - अपशिष्ट भराव-क्षेत्र किस प्रकार पर्यावरण को प्रभावित करते हैं?	- अपशिष्ट भराव-क्षेत्र के अपशिष्ट में कमी करना -वस्त्रों का पुनर्चक्रण	-पुराने वस्त्रों का पुनर्प्रयोग कैसे करें? -पायदान, थैले आदि

उदाहरण #3: पारि-अनुकूल प्रतिस्थानिकों को अपनाकर प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान

समस्या	कार्रवाई संबंधी कार्यनीति	कार्रवाई योग्य कौशल
-प्लास्टिक क्या है? -ये किस प्रकार पर्यावरण को प्रभावित करता है?	- प्लास्टिक फोल्डरों को छोड़ें -पारि-अनुकूल विकल्पों को अपनाना	-कागज का फोल्डर कैसे बनायें? -गुणवत्ता, टिकाऊपन संबंधी समस्याओं का समाधान?

संधारणीय जीवनशैली परियोजना और प्रदर्शनियाँ

हाल ही में, कुछ युवा मस्तिष्कों के नवाचारों से देश गर्वित हुआ है। उदाहरण के लिए, दिल्ली-आधारित कृषि-पुनर्चक्रण 'टकाचार' और तमिलनाडू की स्कूल छात्रा, अर्थशॉट पुरस्कार-2021 में क्रमशः विजेता तथा फाइनलिस्ट, द्वारा निर्मित सौर ऊर्जा से चलने वाली इस्त्री करने की गाड़ी। स्कूल स्तर पर ऐसी परियोजनाओं-नवोत्पादों तथा परियोजनाओं के प्रस्तुतिकरण/ प्रदर्शन दोनों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

प्रकृति शिविर और ग्रीष्मकालीन अवकाश कार्यक्रम

अध्ययनकक्ष की अपेक्षा प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से सीखने से व्यवहार पर अधिक गहरा प्रभाव पड़ता है। कैंपिंग तथा अन्य आउटडोर अनुभव, प्रकृति तथा पर्यावरणीय मुद्दों से सीधे जुड़ने के सर्वाधिक प्रत्यक्ष, प्राथमिक और व्यावहारिक व क्रियाशील स्वरूप हैं। इनका शैक्षिक प्रभाव मजबूत, अचल और आजीवन होता है। कैंपिंग और तत्समान अनुभव प्रकृति, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और पर्यावरण और विकास संबंधी मुद्दों के प्रति हमारी सम्पूर्ण प्रतिक्रिया के संबंध में हमारे दृष्टिकोण के निर्माण और व्यवहार पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यह अनुभव स्वदेशी ज्ञान, संधारणीय जीविका के संबंध में स्थानीय परंपराओं तथा व्यवहारों, जैव-विविधता, वन, वन्यजीव, संरक्षित क्षेत्रों और उनके प्रबंधन प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, संसाधन पुनर्चक्रण, उपभोग में कटौती करने, अपशिष्ट प्रबंधन, नवीकरणीय तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों आदि के विषय में सीखने में बच्चों की सहायता भी करता है। इन कार्यक्रमों के मुख्य परिणाम नीचे दिए गए हैं :

- प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के साथ-साथ उनके महत्व की सराहना
- पर्यावरण, प्रकृति और वन्यजीवों के प्रति प्रेम जगाना
- प्रकृति तथा प्राकृतिक संसाधनों के प्रति चिंता पैदा करना
- वनों, चारागाहों, नदियों, आर्द्रभूमियों, मरुस्थलों और अन्य पारि-तंत्रों की विभिन्न वनस्पतियों एवं जीव-जंतुओं का परिचय देना
- कुदरती इलाकों और जंगलों को करीब से जानने के लिए बच्चों को रोमांच और साहस से भरे अवसर प्रदान करना।
- पर्यावरण, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु विद्यार्थियों को पारि-अनुकूल जीवनशैली अपनाने की प्रेरणा देना
- नेतृत्व, टीमवर्क, अन्वेषण के कौशल के विकास में उनकी सहायता करना

अनुबंध-II

पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता, अनुसंधान और कौशल विकास (ईईएआरएसडी) योजना के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम (ईईपी) के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्रारूप

(भाग 1.5 देखें)

कार्यान्वयनकर्ता संस्था का नाम : _____

पत्राचार का पता : _____

नोडल अधिकारी का नाम : _____

नोडल अधिकारी का संपर्क विवरण : ई-मेल : _____

दूरभाष : _____

समेकित प्रस्ताव :

क्र.सं.	**पहलों का विवरण**	**प्रस्तावित राशि (रूपये में)**
क.	संधारणीय जीवन शैली कार्यशालाओं/ परियोजनाओं/ प्रदर्शनियों/ अभियानों/प्रतियोगिताओं* के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता (प्रति जिला की अधिकतम 15 लाख रूपये)	
ख.	प्रकृति शिविर/ग्रीष्म अवकाश कार्यक्रमों* के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता। (50 छात्रों के प्रत्येक बीस शिविरों के लिए 40 लाख रूपये तक)	
ग	प्रतिपूर्ति के आधार पर प्रशासनिक शुल्क (क+ख का 10%)	
	कुल	

प्रत्येक पहल का विवरण संलग्न किया जाए; *प्रकृति शिविरों/ग्रीष्म अवकाश कार्यक्रमों के मामले में छात्रों की संख्या और दिनों की संख्या निर्दिष्ट की जानी है।

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर प्रदान की गई सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही है और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, तो मैं आवेदन में दावाकृत उद्देश्य के लिए निधि के उपयोग की जिम्मेदारी लेता हूं।

(नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर)
नाम और पदनाम मोहर सहित

(संस्थान/संगठन के प्रमुख के हस्ताक्षर)
नाम और पदनाम मोहर सहित

दिनांक :
स्थान :

विस्तृत प्रस्ताव

क्र.सं.	शीर्षक उद्देश्य का	श्रेणी	उद्देश्य के संबंध में संक्षिप्त *विवरण*	कवर किए जाने वाले जिलों की संख्या	निम्नलिखित के संदर्भ में अपेक्षित परिणाम		व्यय के शीर्ष	प्रस्तावित राशि (रूपये में)	कुल प्रस्तावित राशि (रूपये में)
					स्कूल/क्लबों की संख्या	बच्चों/युवाओं की संख्या			
		कार्यशाला/ परियोजना/ प्रदर्शनी/ अभियान/ प्रतियोगिता/ प्रकृति शिविर/ ग्रीष्मअवकाश कार्यक्रम	*100 - 200 शब्दों में वर्णन कीजिए कि यह पहल संधारणीय जीवन-शैली अपनाने के लिए किस प्रकार बच्चों/युवाओं का कौशलवर्धन करेगी और पर्यावरण की बेहतरी के लिए योगदान देगी।*						
		कार्यशाला/ परियोजना/ प्रदर्शनी/ अभियान/ प्रतियोगिता/ प्रकृति शिविर/ग्रीष्म अवकाश कार्यक्रम	*100 - 200 शब्दों में वर्णन कीजिए कि यह पहल संधारणीय जीवन-शैली अपनाने के लिए किस प्रकार बच्चों/युवाओं का कौशलवर्धन करेगी और पर्यावरण की बेहतरी के लिए योगदान देगी।*						
				कुल				**कुल**	